


कार्यालय, प्रभारी न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय, सरायकेला

सूचना

दिनांक 10.03.2025 को डाक द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें आवेदक का नाम अंकित नहीं है। आवेदक ने अपने आवेदन में गोविन्द शर्मा, नजारत विभाग में कार्यरत है, उनके उपर आरोप लगाया है।

अंतः आवेदक को यह सूचित किया जाता है कि कार्यावधि के दौरान व्यवहार न्यायालय में आकर इस संदर्भ में अपना पक्ष 15 दिनों के अंदर रखें।


प्रभारी न्यायाधीश,
व्यवहार न्यायालय, सरायकेला